कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के परिपत्रांक सी–72/अधि0–7–86/पैक्स कैडर दिनॉक 16.1.09 द्वारा उ0प्र0 कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबन्ध एवं विकास खाता में अंशदान हेतु समस्त जिला सहकारी बैंकों,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक तथा अन्य शीर्ष संस्थाओं के वार्षिक अंशदान की दरों का अधोलिखित विवरणानुसार निर्धारण करते हुए वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह के अन्दर अंशदान जमा कराने के निर्देश दिये गये थे।

1. बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा–11(1) का अनुपालन करने वाले बैंकों द्वारा पैक्स को दिये गये अल्पकालीन ऋण का 0.25 प्रतिशत ।
2. उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा नाबार्ड से प्राप्त Refinance का सहकारी बैंकों के माध्यम से होने वाले ऋण वितरण का 0.125 प्रतिशत ।
3. पी0सी0एफ0 द्वारा गेंहू खरीद मे प्रशासनिक व्यय मद मे प्राप्त धनराशि से रू0 1.00 प्रति कुन्टल तथा उर्वरक व्यवसाय मे प्राप्त मार्जिन धनराशि का रू0 20 प्रति टन मे से रू0 2.50 प्रति टन ।
4. उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि. द्वारा गेंहू खरीद प्रशासनिक व्यय के रूप मे प्राप्त धनराशि से रू0 1.00 प्रति कुन्टल।
5. उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा रू0 5.00 लाख ।
6. उ0प्र0 सहकारी विधायन मे एवं शीतगृह संघ लि0 द्वारा रू0 10.00 लाख ।
7. उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा रू0 50,000.00 ।
8. उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0 द्वारा रू0 10,000.00।

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि संस्थाओ द्वारा विगत वर्षो में अपना निर्धारित अंशदान जमा नही कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 को समाप्त हुए भी तीन माह का समय व्यतीत हो चुका है,परन्तु अभी तक संस्थाओ द्वारा अपना अंशदान जमा नही किया गया है।

अतः अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के साथ–साथ विगत वर्षो का लम्बित अंशदान अबिलम्ब उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ की मुख्य शाखा पर खुले "उ0प्र0 कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबन्ध एवं विकास खाता संख्या 36024" में जमा कराते हुए प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

ह0
(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0 प्र0।
परिपत्रांक सी-28 अधि0–7 दिनॉक लखनऊ जुलाई, 17 2015

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0,(लाइसेंस प्राप्त)उ0प्र0
2– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0।
3– समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 लि0 लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0,लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0,लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ।
10– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जूट एवं कृषि विकास संघ लि0,लखनऊ।
11– प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन,लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।